

बिहार स्टेट मार्टिनरीटिज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लिमिटेड

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, टॉर्जा रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(Email=minocorporatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या: 665/18 वी.एस.एम.एफ.सी./ पटना दिनांक: 20/04/18

स्वीकृतदेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ऑफ संख्या-909 दिनांक-11.04.2017 में वर्णित 15 डेजों में राज्य सम्पत्तिगत मूल्यमती अल्पसंख्यक योजना के अन्तर्गत बिना स्वीकृत वचन-समिति द्वारा दिनांक-07.08.2017 को चयनित आवेदकों में से निम्नलिखित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रणाली द्वारा जर्मुई जिला के रूडिहीन कामजीकरण/दस्तावेज निष्पादन करके उनको द्वारा स्थल जाँच कर सम्पत्ति किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में प्रणाली की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभक को उनके नाम के सामने ऑफिस डेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए प्रणाली की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से प्रणाली भुगतान करने हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में स्वीकृत प्रणाली में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के परचाल नीचे सूचि भूगतिय के माध्यम में दर्शाये गये प्रणाली सीधे सम्बन्धित लाभक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए निर्देश दिया जाता है :-

Sl. No	वचन	स्वी	क्र.सं.	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Processing Charge Less 0.5%	Net Payable Amount
1.	12/62			SHARIF ANSARI, S/O- RAFIQUE MIYAN, VIII-KARMA, Block+ PS-JHAJHA, PO-BODWA, Distt.-JAMUI 811308	A/c No.: 02910110033142	BUILDING METEIRIAL	200000	1000	199000
2.	23/145	X		MUKHTAR MIYAN, S/O- NAZAM MIYAN, VIII-DUMARMOH, Block PS-JHAJHA, PO-BODWA, Distt.-JAMUI-811308	A/c No.: 20427856763	EGGS SHOP	200000	1000	199000
						TOTAL	460000	2000	398000

स्वीकृत प्रणाली में वर्णित डेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा प्रणाली से सुविधा की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की शीतिव जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रणाली द्वारा प्रतिवेदन सम्पत्ति किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत प्रणाली में प्रणाली की अनुधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान बैंकमिसिक फिस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना

है।

आपाक: 665 दिनांक: 20/04/18

प्रतिनिधि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जर्मुई/प्रणी अणुधर/अणु अणु/अणु अणु (कम्प्युटर सेल)

लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रणाली की सुचनाएँ एवं अनुपालनाएँ प्रेषित।

प्रमण्डलीय प्रणाली

प्रणाली पदाधिकारी

प्रमुख

प्रमुख निर्देशक